राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

[illegible]क: एफ4 (743)आकाशि / नि.सं. / 1998 / 1655 दिनांक– 23.5.18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी [illegible] निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2017–18 से स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संचालित संकाय व विषय	
[illegible] कला संस्थान, [illegible] वरुण पथ, [illegible] जयपुर।	दीपशिखा कॉलेज ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, सेक्टर–3, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर– विज्ञान संकाय– वनस्पतिशास्त्र, भौतिक रसायनशास्त्र, गणित। वाणिज्य संकाय– ईएएफएम, व्यावसायिक प्रशासन।	प्राणीशास्त्र, शास्त्र, ए.बी.एस.टी.

[illegible] भय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।

1. [illegible] प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार [illegible] द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा

2. [illegible]कतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी [illegible] चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

[illegible] अधिकृत अधिकारी द्वारा [illegible] कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना

3. [illegible] को समय–समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय [illegible] अनिवार्य रूप से करनी होगी।

[illegible] विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से

4. [illegible] संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा [illegible] करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

[illegible] व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त [illegible] करवाना अनिवार्य होगा।

5. [illegible] की [illegible] वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन [illegible] 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. [illegible] द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक [illegible] प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित

7. [illegible] महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी [illegible] अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।

[illegible]अनुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ [illegible] कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

8. [illegible] सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु [illegible] प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग

9. [illegible] संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।

[illegible] सुनिश्चित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार [illegible] संख्या सीमा [illegible] जारी होने वाली नीतियों की पालना

10. [illegible] सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018–19 तथा बाद में [illegible] सांख्यिकी पुस्तिका एवं

[illegible] होगा।

11. [illegible] प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से [illegible] भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

[illegible] विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें [illegible] www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को

12. [illegible] संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [illegible] अपलोड करना अनिवार्य होगा।

[illegible] DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष [illegible] आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

[illegible] इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में [illegible] को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र [illegible]

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. [illegible] सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. [illegible] शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. [illegible] पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner